Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 3 हजार 300 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *23 सितम्बर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की करौली इकाई द्वारा आज धौलपुर में कार्यवाही करते हुये **पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना, पुनःपंजीयन/वाहन रजिस्ट्रेशन) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, जिला धौलपुर एवं दलाल पवन चंसौरिया (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **3 हजार 300 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन करने की एवज में आरोपी पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना, पुनःपंजीयन/वाहन रजिस्ट्रेशन) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, जिला धौलपुर द्वारा **3 हजार रुपये** रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की करौली इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के धौलपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी पवन श्रीवास्तव एवं दलाल पवन चंसौरिया (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **3 हजार 300 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन श्रीवास्तव द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि **3 हजार 300 रुपये**, एक अन्य प्राईवेट व्यक्ति **अनूप** को दिलवाई, जिसे वह ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।